"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 354 ] रायपुर, शनिवार दिनांक 31 दिसम्बर 2011—पौष 10, शक 1933

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
महानदी खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

क्रमांक एफ 57/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा/2010/1971.—दिनांक 27 दिसम्बर 2011 को नगर पालिक निगम रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग. के 01 अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निरर्हित घोषित किया गया है, की सूचना सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

**एस. के. तिवारी,**
उप-सचिव.

**प्रकरण क्रमांक एफ-57/रानिआ/न.पा./व्यय लेखा-2010**

श्री सीताराम चौहान, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2009 नगर पालिक निगम, रायगढ़, जिला रायगढ़, छ.ग.

## आदेश

(छ. ग. नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)
पारित दिनांक 27 दिसम्बर 2011

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 9 मार्च 2010 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन में कुल 8 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 27 दिसंबर 2009 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 9 मार्च 2010 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ के आम निर्वाचन 2009 में लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से श्री सीताराम चौहान द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 27 दिसम्बर 2009 के पश्चात् निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने की आखिरी तारीख अर्थात् दिनांक 27 जनवरी 2010 तक विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान को कारण बताओ सूचना दिनांक 22 मार्च 2010 को जारी कर विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय-लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में जवाब 15 दिवस में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी को दिनांक 31 मार्च 2010 को सम्यक् रूप से तामील की गई. श्री सीताराम चौहान द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब दिनांक 19 अप्रैल 2010 को प्रेषित कर अवगत कराया कि अन्य पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन करने के कारण उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया है. इसके अलावा उनके जीजा के गंभीर रूप से बीमार होने तथा मृत्यु हो जाने के कारण उनके क्रिया-कर्म में संलग्न होने के कारण निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 9 फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है.

4. अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान द्वारा प्रस्तुत जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायगढ़ का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायगढ़ ने अपने ज्ञापन क्रमांक 780 दिनांक 18 मई 2010 में यह उल्लेख किया है कि अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान द्वारा प्रस्तुत जवाब परीक्षणोपरान्त संतोषप्रद नहीं पाया गया.

5. अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) रायगढ़ द्वारा दिये गये अभिमत के सन्दर्भ में प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. इस हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 29 अक्टूबर 2011 को आहूत किया गया. उक्त सूचना अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से तामील नहीं होने के कारण इसकी तिथि पुनः दिनांक 30 नवम्बर 2011 निर्धारित कर सूचना पत्र जारी किया गया. उक्त सूचना पत्र अभ्यर्थी को दिनांक 18 नवम्बर 2011 को सम्यक् रूप से तामील होने के उपरान्त भी अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान निर्धारित तिथि 30 नवम्बर 2011 को सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुए. अतएव अभ्यर्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया गया.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ के प्रतिवेदन, अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान के जवाब एवं प्रकरण से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :

"**धारा 14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा**—(1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना**— महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 1997 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अतः उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), रायगढ़ के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम रायगढ़ के महापौर पद के आम निर्वाचन 2009 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में अर्थात् 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत नहीं किया गया. उनके द्वारा विलंब से दिनांक 9 फरवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया गया. इस संबंध में अभ्यर्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रत्यक्ष सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए आयोग में उपस्थित होने की सूचना भेजी गई परन्तु अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहा. अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उनके द्वारा अन्य पार्टी को समर्थन देने के कारण चुनाव कार्य में किसी प्रकार का कोई व्यय नहीं किया गया. अभ्यर्थी की उक्त दलील स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि उनके द्वारा जमानत राशि आदि का व्यय किया गया होगा, जिसका उल्लेख करते हुए निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 27 जनवरी 2010 तक प्रस्तुत करना था. वस्तुतः उनके द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से दिनांक 9 फरवरी 2010 को प्रस्तुत किया गया है. इस स्थिति में यह विचारणीय है कि क्या अभ्यर्थी निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने का कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता है. अभ्यर्थी के जवाब में दर्शाया गया है कि उनके जीजा के गंभीर रूप से बीमार होने व फौत हो जाने के कारण निर्धारित तिथि दिनांक 27 जनवरी 2010 को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया जा सका. लेकिन इसकी पुष्टि में अभ्यर्थी द्वारा कोई विवरण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहा है तथा उक्त अभ्यर्थी इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखता है. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थी श्री सीताराम चौहान को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्य नहीं रखने के कारण उन्हें इस आदेश की तारीख से चार वर्ष की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 27 दिसम्बर 2011 को जारी किया गया.

हस्ता./-

**(पी. सी. दलेई)**
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.